UPUN010048082021

न्यायालय **Sp. Judge (E.C.Act)/Addl. Session Judge Court No. 4, Unnao.**

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती ममता सिंह, (उच्चतर न्यायिक सेवा) – **UP**06337

Spl Trial Ec act–1198/2021

सरकार ————————————————————————————————————अभियोजक

बनाम

मंयक अवस्थी पुत्र संजीव अवस्थी,
निवासी काकूपुर नेहाल, थाना शिवराजपुर,
जनपद कानपुर नगर। .... अभियुक्त

मु0अ0सं0–380/2019
धारा–135 भारतीय विद्युत अधिनियम
थाना–बांगरमऊ, जिला–उन्नाव।

निर्णय

1. अभियुक्त मंयक अवस्थी के विरूद्ध प्रस्तुत विशेष सत्र परीक्षण सं0–1198/2021 अ0सं0–380/2019, अन्तर्गत धारा–135 भारतीय विद्युत अधिनियम, थाना–बांगरमऊ, जनपद–उन्नाव में विवेचक द्वारा विवेचनोपरान्त प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर परीक्षण योजित किया गया।

2. अभियोजन पक्ष का कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 16.07.2019 को समय 15.30 बजे बहदग्राम नौबतगंज जगतनगर थाना बांगरमऊ, जिला उन्नाव में उच्चाधिकारियों के आदेशों के अनुपालन में विद्युत चोरी रोको अभियान के अन्तर्गत वादी अजय कुमार श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण उपखण्ड बांगरमऊ उन्नाव व साथ में श्री राहुल सैनी संविदाकर्मी, श्री रविकान्त संविदाकर्मी के द्वारा मऊ पोषक में राजस्व वृद्धि तथा विद्युत चोरी की रोकथाम हेतु सम्बन्धित मोहल्लों में विद्युत संयोजनों व विद्युत लाइन की सघन जांच करने गये तो अभियुक्त मंयक अवस्थी द्वारा परिसर में सीधे एल0टी0 पोल से दो कोर के केबिल लगाकर विद्युत चोरी करते पाये गये, जो भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा–135 के अन्तर्गत दण्डनीय है।

3. वादी की उक्त तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाना–बांगरमऊ, जिला–उन्नाव में अभियुक्त मंयक अवस्थी के विरूद्ध दिनांक 25.07.2019 को समय 14.10 बजे मु0अ0सं0–380/2019, अन्तर्गत धारा 135 भारतीय विद्युत अधिनियम में पंजीकृत किया गया।

4. प्रस्तुत प्रकरण में विवेचक द्वारा वादी मुकदमा व अन्य गवाहान के बयान अंकित किये गये तथा सम्पूर्ण विवेचनोपरान्त अभियुक्त मयंक अवस्थी के विरूद्ध प्रथम दृष्टया सामग्री पाते हुए आरोप पत्र अन्तर्गत धारा–135 भारतीय विद्युत अधिनियम आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर विशेष न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया।

5. अभियुक्त मयंक अवस्थी को आहूत किया गया। उसे नकले दी गयी। अभियुक्त द्व ारा जमानत कराया गया।

6. अभियुक्त मयंक अवस्थी के विरूद्ध धारा–135 भारतीय विद्युत अधिनियम में आरोप दिनांक 15.03.2023 को न्यायालय द्वारा विरचित किया गया, आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

7. अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध विरचित आरोप को साबित किये जाने हेतु मौखिक साक्ष्य के रूप में पी0डब्लू0–1 अजय कुमार श्रीवास्तव, उपखण्ड अधिकारी व पी0डब्लू–2 कृष्णकान्त, कार्यालय सहायक वि0वि0खण्ड चतुर्थ को परीक्षित कराया गया है।

8. अभियोजन द्वारा लिखित तहरीर को प्रदर्श क–1, चेकिंग रिपोर्ट को प्रदर्श क–2, शमन शुल्क को प्रदर्श क–3, राजस्व निर्धारण को प्रदर्श क–4 व अदेयता प्रमाण पत्र को प्रदर्श क–5 के रूप में साबित किया है। न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य दिनांक–25.07. 2024 को समाप्त किया गया।

9. अभियुक्त मंयक अवस्थी का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया जिसमें अभियुक्त ने घटना को गलत कहा तथा मुकदमा रंजिशन चलना बताया व सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया है।

10. मैने विद्वान विशेष शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन किया।

11. अभियुक्त मयंक अवस्थी के विरूद्ध यह आरोप है कि *दिनांक 16.07. 2019 को समय 15.30 बजे बहदग्राम नौबतगंज जगतनगर थाना बांगरमऊ, जिला उन्नाव में उच्चाधिकारियों के आदेशों के अनुपालन में विद्युत चोरी रोको अभियान के अन्तर्गत वादी अजय कुमार श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण उपखण्ड बांगरमऊ उन्नाव व साथ में श्री राहुल सैनी संविदाकर्मी, श्री रविकान्त संविदाकर्मी के द्वारा मऊ पोषक में राजस्व वृद्धि तथा विद्युत चोरी की रोकथाम हेतु सम्बन्धित मोहल्लों में विद्युत संयोजनों व विद्युत लाइन की सघन जांच करने गये तो आप द्वारा परिसर में सीधे एल0टी0 पोल से दो कोर के केबिल लगाकर विद्युत चोरी करते पाये गये।*

12. प्रस्तुत प्रकरण में विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त मयंक अवस्थी के विरूद्ध आरोपित अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है?

13. अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त मयंक अवस्थी के विरूद्ध आरोपित आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने हेतु पी0डब्लू0–1 अजय कुमार श्रीवास्तव, उपखण्ड अधिकारी व पी0डब्लू–2 कृष्णकान्त, कार्यालय सहायक विद्युत वितरण खण्ड चतुर्थ उन्नाव को परीक्षित कराया गया है। साक्षी पी0डब्लू–2 कृष्णकान्त, कार्यालय सहायक विद्युत वितरण खण्ड चतुर्थ उन्नाव द्वारा अपने साक्ष्य में अभियुक्त उपरोक्त द्वारा शमन शुल्क व राजस्व निर्धारण धनराशि मु0–23318/–रू0 क्रमशः शमन 5000 + राजस्व 18318/–रू0 तथा राजस्व निर्धारण मु0–4580/–रू0 जमा कर दिया गया है। उक्त साक्षी ने शमन शुल्क, राजस्व निर्धारण व अदेयता प्रमाण पत्र को क्रमशः प्रदर्श क–3, प्रदर्श क–4 व प्रदर्श क–5 के रूप में विधितः साबित किया है।

14. बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त मयंक अवस्थी द्व ारा विद्युत बिल जमा कर दिया गया है और कोई अदायगी शेष नही है। अतः अभियुक्त उपरोक्त को धारा–152 भारतीय विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत लाभ देते हुए दोषमुक्त की याचना की गयी है।

15. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–2 कृष्णकान्त, कार्यालय सहायक विद्युत वितरण खण्ड चतुर्थ उन्नाव द्वारा यह स्वीरोक्ति की गयी है कि अभियुक्त उपरोक्त द्वारा शमन शुल्क व राजस्व निर्धारण धनराशि मु0–23318/–रू0 क्रमशः शमन 5000 + राजस्व 18318/–रू0 तथा राजस्व निर्धारण मु0–4580/–रू0 जमा कर दिया गया है, जिनकी प्रतियां पत्रावली में दाखिल है। उक्त साक्षी ने शमन शुल्क की प्रमाणित प्रतिलिपि को विधितः साबित किया है तथा मुकदमा समाप्त करने में कोई आपत्ति न करने का कथन किया है।

16. ***धारा–152 उप धारा–3 भारतीय विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत यह उपबन्ध है कि उप धारा–1 के अन्तर्गत शमनीय अपराधों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा शमन धनराशि प्राप्ति का तात्पर्य दण्ड प्रकिया संहिता 1973 के अन्तर्गत दोषमुक्ति के रूप में होगा।***

17. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर यह प्रकट है कि उपभोक्ता/अभियुक्त मयंक अवस्थी द्वारा शमन शुल्क शमन शुल्क व राजस्व निर्धारण धनराशि मु0–23318/–रू0 क्रमशः शमन 5000 + राजस्व 18318/–रू0 तथा राजस्व निर्धारण मु0–4580/–रू0 जमा कर दिया गया है, जिनकी कार्बन प्रतियां पत्रावली में दाखिल है और अभियुक्त पर विद्युत विभाग की कोई देय धनराशि शेष नही है। ***इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य से यह प्रकट है कि अभियुक्त उपरोक्त द्वारा कथित घटना/विद्य त चोरी करते पकड़े जाने पर दौरान मुकदमा उक्त अपराध के सम्बन्ध में विद्युत विभाग द्वारा निर्धारित शमन शुल्क व राजस्व निर्धारण की धनराशि की पूर्ण अदायगी विद्युत विभाग में की जा चुकी है और विद्युत विभाग का कोई देय अभियुक्त पर शेष नही है और उसका अपराध उसके द्वारा उक्त देय अदा करने पर विभाग द्वारा शमन किया जा चुका है तथा यह उसका प्रथम अपराध है। इन परिस्थितियों में धारा–152(1) भारतीय***

<u>विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त के द्वारा विद्युत चोरी के सम्बन्ध में राज्य सरकार की तरफ से निमित्त प्राधिकारी द्वारा उक्त अपराध के शमन, द्वारा धनराशि को स्वीकार कर लिया गया है, जैसा कि इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट है, ऐसे में अभियुक्त के विरूद्ध अब कोई कार्यवाही न्यायालय में विद्युत अधिनियम की धारा–152(2) के अन्तर्गत जारी नहीं रखी जा सकती तथा धारा–152(3) भारतीय विद्युत अधिनियम के तहत यह दोषमुक्ति मानी जायेगी।</u>

18. उपरोक्त मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्यों के विश्लेषण से न्यायालय इस निष्कर्ष पर है कि उक्त धाराओं का लाभ पाते हुए अभियुक्त मयंक अवस्थी धारा–135 भारतीय विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत विरचित आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

1. अभियुक्त मयंक अवस्थी को मु0अ0सं0–380/2019, थाना–बांगरमऊ, जनपद–उन्नाव अन्तर्गत धारा–135 भारतीय विद्युत अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है। उसके जमानतनामें व बंधपत्र निरस्त किये जाते है एवं जमानतदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

2. अभियुक्त उपरोक्त को धारा 437ए दं0प्र0सं0 के अनुपालन में 20,000/–रूपये की एक प्रतिभू व समान धनराशि का निजी बन्धपत्र अपील की दशा में अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु एक सप्ताह के अन्दर दाखिल करने हेतु आदेशित किया जाता है।

दिनांक–14.11.2024

(ममता सिंह)
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट)/अपर
सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–4, उन्नाव।

यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके आज सुनाया गया।

दिनांक–14.11.2024

(ममता सिंह)
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट)/अपर
सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–4, उन्नाव।